न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 35/2022
महाबीर प्रसाद सैनी पुत्र रामलाल सैनी, निवासी नई हवेली ढाणी सिरवाला, वार्ड नं0 18, ग्रा0पो0 बबाई, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333501

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 21.02.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 28.01.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 35/2022 पर दिनांक 28.01.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/253–54 दिनांक 28.01.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी ने पत्रांक सू0अ0अ0/22/59 दिनांक 18.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी महाबीर प्रसाद सैनी पुत्र रामलाल सैनी, निवासी नई हवेली ढाणी सिरवाला तन बबाई ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अवदेन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही थी। अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन इस कार्यालय मे दिनांक 12.01.2022 को प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र मे वर्णित बिन्दुओं की सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सू0अ0अ0/22/31 दिनांक 19.01.2022 के द्वारा निर्धारित अवधि मे ही उपलब्ध करवादी गई थी। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/22/59 दिनांक 18.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी महाबीर प्रसाद सैनी पुत्र रामलाल सैनी, निवासी नई हवेली ढाणी सिरवाला तन बबाई ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अवदेन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही थी। अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन उनके कार्यालय मे दिनांक 12.01.2022 को प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र मे वर्णित बिन्दुओं की सूचना अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र कमांक सू0अ0अ0/22/31 दिनांक 19.01.2022 के द्वारा निर्धारित अवधि मे ही उपलब्ध करवादी गई थी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है [illegible] इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.16 16:35:48 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं